



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-04052023-245691
CG-JH-E-04052023-245691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]
No. 272]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/VAISAKHA 13, 1945

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(खान सुरक्षा महानिदेशालय)
शुद्धि-पत्र
धनबाद, 2 मई, 2023

सा.का.नि. 342(अ).—भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (खान सुरक्षा महानिदेशालय) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 17 अप्रैल 2023 में सा.का.नि. 300(अ) दिनांक 17 अप्रैल 2023 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पृष्ठ 1 से 9 जो खान सुरक्षा महानिदेशालय के जोन एवं क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से संबंधित है—

- (1) पृष्ठ 1 पर (हिंदी संस्करण में), अधिसूचना की तारीख 'धनबाद, 17, जनवरी 2023' के स्थान पर 'धनबाद, 17 अप्रैल 2023' पढ़ें।
- (2) पृष्ठ 2 पर (हिंदी संस्करण में), अंडमान और निकोबार, केंद्र शासित प्रदेश की सभी खदानें सीतारामपुर क्षेत्र-1 के स्थान पर सीतारामपुर क्षेत्र-2 के क्षेत्राधिकार में पढ़ें।
- (3) पृष्ठ 5 पर (हिंदी संस्करण में), प्रथम पंक्ति: 'राज्य तेलंगाना' के स्थान पर 'राज्य छत्तीसगढ़' पढ़ें।
- (4) पृष्ठ 7 पर (अंग्रेजी संस्करण में), कोडरमा क्षेत्र-3 के स्थान पर 'कोडरमा क्षेत्र' पढ़ें।

[सं. 29022/01/2009-सामान्य/क्षेत्राधिकार-2023 (शुद्धि-पत्र)]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक एवं खान सुरक्षा महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Directorate General of Mines Safety)****CORRIGENDUM**

Dhanbad, 2nd May, 2023

G.S.R. 342.— In the Notification of Government of India, Ministry of Labour and Employment, (Directorate General of Mines Safety), published in the Gazette of India, part II, Section – 3, Sub-Section (i), dated 17th April , 2023 vide G.S.R. 300(E) dated the 17th April 2023, at pages 1 to 9, in respect of the Jurisdiction of Zones and Regions of the Directorate General of Mines Safety:

- (1) **At Page 1** (in Hindi version), for Date of Notification ‘**धनबाद, 17, जनवरी, 2023**’ read as ‘**धनबाद, 17, अप्रैल, 2023**’
- (2) **At Page 2** (in Hindi version), all the mines of Andaman and Nicobar Islands shall be read under the jurisdiction of Sitarampur Region-2 in place of Jurisdiction of Sitarampur Region-1.
- (3) **At Page 5** (in Hindi version), in first line: for ‘**राज्य तेलंगाना**’ read as ‘**राज्य छत्तीसगढ़**’
- (4) **At Page 7** (in English version), for ‘**Koderma Region-3**’ read as ‘**Koderma Region**’.

[No. 29022/01/2009-Genl/Jurisdiction/2023(Corrigendum)]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines & Director General of Mines Safety